

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बड़जलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 32/2025/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांक 29.01.2025

अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

देवा पुत्र खाना जाति भील निवासी ग्राम पराणा तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी

....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पाना बाई पत्नी रतन लाल जाति भील निवासी छतरी खेड़ा तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा,
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेड़ा, जिला बून्दी

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, श्री पंकज दाधीच, अभिभाषक -अपीलांट
श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक - रेस्पो0 क्र. 1

::निर्णय::

दिनांक 18.07.2025



अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 69/अपील/2022 बउनवान देवा बनाम पानाबाई वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 23.12.2024 के विरुद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार उप तहसील डाबी के द्वारा नामांतरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 ग्राम पराणा को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर क्रेता रेस्पो0 पाना बाई पत्नी रतनलाल कौम भील निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजोलियपा जिला झालावाड़ के पक्ष में तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक किये जाने पर विधिक त्रुटि नहीं होना प्रकट करते हुए उक्त आशय की अपील निर्णय दिनांक 23.12.2024 से खारिज की गई।

18/7/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 23.12.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलान्त द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी को कृषि भूमि खसरा संख्या 239 रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम पराणा दिनांक 28.11.1975 को आवंटित हुई थी, तभी से उक्त भूमि पर अपीलार्थी निरन्तर रूप से काबिज काश्त है। किन्तु दिनांक 20.05.2022 को कुछ लोग अपीलान्त की भूमि पर आये और बताया कि अपीलान्त की भूमि को पाना बाई पत्नी रतनलाल से वे व्यक्ति क्रय करना चाहते हैं, क्योंकि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पाना बाई के नाम दर्ज हो चुकी है। इस बात की जानकारी होने पर अपीलान्त द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इस सम्बन्ध में जानकारी की तो पता चला कि एक महिला हगामी द्वारा अवैध रूप से षडयन्त्र करके अपीलार्थी जो स्वयं जीवित हैं और आज भी भूमि पर काबिज है उसका एक कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके एवं स्वयं को अपीलार्थी की पत्नी बताकर अवैध रूप से जरिये विवादित नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 से भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने स्वयं के नाम से दर्ज करवा लिया, जो कि पूर्णरूप से अवैध है। उक्त हगामी द्वारा नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 के आधार पर भूमि को उपरोक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 293 दिनांक 05.02.2016 से गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवा लिया, इस प्रकार यह नामान्तकरण भी अवैध है एवं उक्त दोनों अवैध नामान्तकरण को निरस्त किया जावे। हगामी द्वारा उक्त दोनो अवैध नामान्तकरण के आधार पर भूमि का बैचान रेस्पोजेण्ट पाना बाई को कर दिया है, उक्त पाना बाई के पक्ष में किया गया नामान्तकरण भी अवैध है, क्योंकि अपीलार्थी स्वयं जीवित है, अतः नामान्तरकरण उसके नाम से वापस खोला जावे। अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। साथ ही उक्त हगामी जिसके द्वारा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाया गया है, उससे सम्बन्धित भी निर्वाचन नामावली व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिससे यह स्पष्ट था कि उक्त हगामी किसी देवा वल्द शंकर की पत्नी है, जो ग्राम पराणा की निवासी नहीं होकर अन्य गांव की निवासी है। जबकि अपीलार्थी के पिता का नाम शंकर न होकर कान्हा है। इसके विपरीत रेस्पोजेण्ट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में आपत्ति की गई। रेस्पोजेण्ट्स द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की ओर से रेस्पोजेण्ट के खिलाफ एफ.आई.आर. नम्बर 83/2013 दिनांक 01.03.2013 को कोतवाली बून्दी में दर्ज करवायी गई थी, जिसमें हगामी के विरुद्ध एफ.आई.आर. प्रस्तुत की गई थी जिसमें पुलिस द्वारा बाद जांच एफ.आई.आर. को झूठा मानकर एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई थी। रेस्पोजेण्ट्स द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वास्तविक देवा पुत्र कान्हा के साथ हगामी का विवाह हुआ था, जिसकी

मि. अ. अ. अ.
18/7/2025
अति. सं. आयुक्त
बेबा

मृत्यु के बाद हगामी द्वारा देवा वल्द शंकर निवासी मेघारावत की झौपडिया से नाता विवाह कर लिया गया था जहां उसके 5 पुत्र व एक पुत्री हुई, इस कारण उसका वर्तमान निर्वाचन नामावली, आधार व अन्य दस्तावेज मेघारावत की झौपडिया के ही बने हुए हैं, ग्राम पराणा का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, अपील प्रस्तुतकर्ता वास्तविक देवा वल्द कान्हा नहीं है। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत उक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा अपील संख्या 70/2022 में पारित आदेश के आधार पर इस अपील को यह अंकित करते हुये खारिज कर दिया कि क्योंकि अपील संख्या 70/2022 खारिज की जा चुकी है तथा उक्त नामान्तरण यथावत है एवं अपील संख्या 71/2022 में विवादित नामान्तरण (गैर खातेदारी से खातेदारी में) संख्या 293 दिनांक 05.02.2016 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.05.2013 के क्रम में खोला गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.12.2024 रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 में अपील संख्या 70/2022 बउनवान देवा बनाम भैरू जिसमें हगामी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 5 की माता द्वारा अवैध रूप से अपीलार्थी को मृत बताकर अपीलार्थी की जमीन का नामान्तरण अपने नाम खुलवाया गया था जबकि अपीलार्थी जीवित है एवं उक्त अपील केवल मात्र मियाद के तकनीकी आधार पर खारिज की गई। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी देवा आज भी जीवित है। अतः नामान्तरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 पूर्णतः अवैध है, जिसके आधार पर खोले गये पश्चातवर्ती सभी नामान्तरण भी स्वतः ही अवैध हैं। अतः माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों अपीलार्थी को तकनीकी आधार पर खारिज करने में विधि एवं तथ्यों सम्बन्धी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर ही नहीं किया गया कि हगामी ने अपीलार्थी को मृत बताकर स्वयं को उसकी पत्नी होना जाहिर करके नामान्तरण खुलवाया है जबकि न तो हगामी अपीलार्थी की पत्नी है और न ही अपीलार्थी की मृत्यु हुई है। इस प्रकार हगामी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके अवैध आदेश प्राप्त किया है जो किसी भी रूप में प्रभावी नहीं माना जा सकता है एवं इस आधार पर हगामी के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 293 पूर्णरूप से अवैध नामान्तरण है, इसी प्रकार पाना बाई के पक्ष में खोला गया नामान्तरण भी अवैध है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 70/2022 को केवल मात्र मियाद के तकनीकी आधार पर खारिज किया है एवं अपील के गुणावगुण पर कोई विवेचन ही नहीं किया है एवं इस तथ्य को निर्धारित करने में कि अपीलार्थी वास्तविक देवा है एवं हगामी द्वारा अपने आपको गलत रूप से अपीलार्थी को मृत बताकर एवं स्वयं को उसकी पत्नी बताकर नामान्तरण खुलवाया गया है। इन तथ्यों

मि. अ. अ.
18/7/2025
अति. सं. आयुक्त
बरेली

की सत्यता के बारे में माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन ही नहीं किया गया है। अतः उक्त आदेश रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2024 तथा नामांतरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन अपीलें पेश की गई थी, जिसमें से मुख्य अपील प्रकरण संख्या 70/2022 थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया, जबकि अवैध एवं विधिविरुद्ध आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने में किसी प्रकार की मियाद की सीमा निर्धारित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में समुचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण परीक्षण कर तथा पटवारी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत मियाद के बिंदु के बजाय गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलांत देवा अनपढ़ व्यक्ति है तथा हगामी द्वारा अवैध रूप से षडयन्त्र करके अपीलार्थी जो स्वयं जीवित हैं, उसका कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके एवं स्वयं को अपीलार्थी की पत्नी बताकर अवैध रूप से जरिये विवादित नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 से भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अपने स्वयं के नाम से दर्ज करवा लिया तथा उक्त हगामी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 के आधार पर भूमि को विवादित नामान्तरकरण संख्या 293 दिनांक 05.02.2016 से गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवा लिया। हगामी द्वारा उक्त दोनो अवैध नामान्तरकरण के आधार पर भूमि का बैचान रेस्पोंडेण्ट पाना बाई को कर दिया है तथा पाना बाई के पक्ष में किया गया नामान्तरकरण भी अवैध है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण अवैध होने से निरस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि हगामी किसी देवा वल्द शंकर की पत्नी है, जो ग्राम पराणा की निवासी नहीं होकर अन्य गांव की निवासी है, जबकि अपीलार्थी के पिता का नाम शंकर न होकर कान्हा है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम पराणा के पटवारी हल्का से वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिपोर्ट नहीं ली गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेण्टस द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में आपत्ति की गई। रेस्पोंडेण्टस द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की ओर से रेस्पोंडेण्ट के खिलाफ एफ.आई.आर. नम्बर 83/2013 दिनांक 01.03.2013 को कोतवाली बून्दी में दर्ज करवायी गई थी, जिसमें हगामी के विरुद्ध एफ.आई.आर.

18/7/2025
अति. सं. आयुक्त
ज्येष्ठ

प्रस्तुत की गई थी जिसमें पुलिस द्वारा बाद जांच एफ.आई.आर. को झूठा मानकर एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई थी। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत उक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा अपील संख्या 70/2022 में पारित आदेश के आधार पर इस अपील को यह अंकित करते हुये खारिज कर दिया कि क्योंकि अपील संख्या 70/2022 खारिज की जा चुकी है तथा उक्त नामान्तरण यथावत है एवं अपील संख्या 71/2022 में विवादित नामान्तरण (गैर खातेदारी से खातेदारी में) संख्या 293 दिनांक 05.02.2016 माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 09.05.2013 के क्रम में खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2024 में अपील संख्या 70/2022 बउनवान देवा बनाम भैरू जिसमें हगामी रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 5 की माता द्वारा अवैध रूप से अपीलार्थी को मृत बताकर अपीलार्थी की जमीन का नामान्तरण अपने नाम खुलवाया गया था जबकि अपीलार्थी जीवित है एवं उक्त अपील केवल मात्र मियाद के तकनीकी आधार पर खारिज की गई। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी देवा आज भी जीवित है। अतः नामान्तरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 पूर्णतः अवैध है, जिसके आधार पर खोले गये पश्चातवर्ती सभी नामान्तरण भी स्वतः ही अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर ही नहीं किया गया कि हगामी ने अपीलार्थी को मृत बताकर स्वयं को उसकी पत्नी होना जाहिर करके नामान्तरण खुलवाया है जबकि न तो हगामी अपीलार्थी की पत्नी है और न ही अपीलार्थी की मृत्यु हुई है। इस प्रकार हगामी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके अवैध आदेश प्राप्त किया है जो किसी भी रूप में प्रभावी नहीं माना जा सकता है एवं इस आधार पर हगामी के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 293 पूर्णरूप से अवैध नामान्तरण है, इसी प्रकार पाना बाई के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 300 भी अवैध है। इस प्रकार कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय-पत्र भी प्रभाव शून्य है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में राजस्व ऐजेंसी के द्वारा कोई जांच नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.12.2024 तथा नामान्तरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 को निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 14.03-2009 Page No. 195, RRT 2021(1) Page No. 276 पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि नामान्तरण संख्या 300 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर खोला गया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 25.02.2016 को निष्पादित हुआ है, जिसे किसी सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। अपीलार्थी स्वयं को देवा बता रहा है, जबकि वह देवा नहीं हैं। आवंटन दिनांक 24.11.1975 से वादग्रस्त आराजी देवा आत्मज खाना कौम भील निवासी ग्राम पराना को आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् आवंटी देवा आत्मज खाना की मृत्यु होने के उपरांत प्रश्नगत आराजी का फोती इन्तकाल हगामी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हुआ है। गैर

18/7/2025
अति. सं. आयुक्त
खेबा

खातेदारी हगामी बेवा देवा के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में एक प्रार्थना-पत्र धारा 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश करने पर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 09.05.2013 के अनुसरण में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। खातेदारी अधिकारी प्रदान किये जाने के उपरांत ही खातेदार हगामी ने रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से रेस्पो0 को प्रश्नगत आराजी का बेचान किया गया है। अपीलांट के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। अपीलांट के द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन अपीले पेश की गई, जिसमें प्रश्नगत आराजी हगामी के नाम आवंटी देवा से दर्ज होना, गैर खातेदारी से खातेदारी के नामांतरकरण तथा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण के विरुद्ध पेश की गई। अपीलांट के द्वारा तत्समय रेस्पो0 (प्रकरण संख्या 31/2025 बउनवान देवा बनाम भैरू में रेस्पो0 क्र. 1 से 5) के विरुद्ध एफ.आई.आर. संख्या 83/2013 दर्ज करायी गई, जिसमें बाद जांच एफ.आर. लगी तथा अपीलांट द्वारा प्रकरण में राजीनामा पेश किया। उक्त एफ.आर. को सिविल न्यायालय के द्वारा भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही संभव हो सकता है। नामांतरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है, जिसमें हकों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलांट के द्वारा रेस्पो0 (प्रकरण संख्या 31/2025 बउनवान देवा बनाम भैरू में रेस्पो0 क्र. 1 से 5) के विरुद्ध पुनः प्रकरण सं0 6/2013 एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई, जिसमें फिर से एफ.आर. लग गयी। अपीलांट देवा नहीं होकर देवीलाल है, जिसकी पत्नि कैलाशी है तथा मूल देवा की पत्नि हगामी हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट की एक अपील संख्या 70/2022 मियाद के आधार पर खारिज की गई है, क्योंकि अपीलांट को प्रश्नगत आराजी के संबंध में जानकारी वर्ष 2013 से रही है, इस कारण जानकारी की तिथि से विलम्ब क्षम्य नहीं है। अपीलांट के देवा नहीं होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो (प्रकरण संख्या 31/2025 बउनवान देवा बनाम भैरू में रेस्पो0 क्र. 1 से 5) के द्वारा जनआधार, मतदाता पहचान-पत्र पेश किये गये थे। एफ.आई.आर. सं 83/2013 के अनुसार देवीलाल के देवा बनने की प्रक्रिया वर्ष 2013 में प्रारम्भ हुई। सिविल न्यायालय में भी एफ.आर. के समय अपीलांट के वही समान अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। यदि अपीलांट अनपढ़ व्यक्ति है, तो अपीलांट के अधिवक्ता को तो मियाद का ज्ञान रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मियाद के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। साथ ही रेस्पो0 की रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

20/10/25
18/7/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

6. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम डाबी के द्वारा खसरा सं० 239 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम पराना का आवंटन दिनांक 24.11.1975 से देवा आत्मज खाना कौम भील निवासी ग्राम पराना को किया गया। आवंटी देवा के फोट होने के उपरांत उक्त गैर खातेदारी की आराजी का विरासतन नामांतरकरण हगामी के नाम तस्दीक किया गया। गैर खातेदार हगामी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष धारा 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 09.05.2013 के अनुसरण में नायब तहसीलदार, डाबी द्वारा हगामी बेवा देवा के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जाकर नामांतरकरण तस्दीक किया गया। खातेदार हगामी के द्वारा रेस्पो० पाना बाई को बेचान किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर नामांतरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 क्रेता पानाबाई के पक्ष में तस्दीक किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के संबंध में विवादित नामांतरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 25.02.2016 के आधार पर रेस्पो० पाना बाई (क्रेता) के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अपीलांट को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से आपत्ति होने की स्थिति में उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती देना जाहिर होता हो। रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा खोले गये नामांतरकरण संख्या 300 दिनांक 03.03.2016 में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई है। जिसमें किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नहीं होने से कोई हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

m. Aug 18/7/2025
 (ममता कुमारी तिवारी)
 अति० सहाय्यी आयुक्त
 कोटा